(1300/SJN/SRG)

वे ऐसा बोलते हैं, मैंने ऐसा सुना है। इस तरह की बातें कई जगहों पर बोली गई हैं। मैं इसमें साफ-साफ यह कहना चाहता हूं, हम सभी लोग किसी न किसी राज्य से आते हैं। We all belong to each and every part of our country. We are together. We may belong to different States and Union Territories. We all are Indians. हमने राज्य सरकार को यह अथॉरिटी कैसे दी है? हम लोगों ने वक्फ बाई यूजर को हटाने के बाद यह प्रावधान सुनिश्चित किया है, राज्य सरकार को ऑथराइज्ड किया है कि जो संपत्ति रजिस्टर्ड हो चुकी है, जहां आप नमाज पढ़ते हैं, अगर वह रजिस्टर्ड है, उसके दस्तावेज हैं, तो उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। यह कानून प्रॉसपेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। आप लोग बहुत ही क्लीयरली सुन लीजिए। यह कानून किसी की जमीन छीनने वाला नहीं है। यह कानून किसी का हक के हनन और उसकी संपत्ति को हड़प करने वाला नहीं है।

राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है कि जो संपत्ति ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, उनमें तो कोई विवाद नहीं है, लेकिन जो विवादित है, जो कोर्ट में लंबित हैं, हम यहां पर कानून बनाकर उसको कैसे हटा सकते हैं? हम कोर्ट की शक्ति को नहीं ले सकते हैं। इसीलिए ये लोग माइक पर बार-बार बोलते हैं। अगर 100 बार भी झूठ बोलेंगे, तो भी कुछ नहीं होने वाला है। जब नागरिकता (संशोधन) विधेयक लाया गया था, ये वही लोग हैं, जिन्होंने कहा था कि जब नागरिकता (संशोधन) विधेयक पास होकर एक्ट बन जाएगा, तो मुसलमानों का हक छिन जाएगा, उनकी नागरिकता खत्म हो जाएगी।

आज सीएए लागू हो गया है। आप बताइए कि क्या किसी मुसलमान का अधिकार छीना गया है? क्या किसी मुसलमान की नागरिकता छीनी गई है? आप बताइए। क्या आप माफी मांगेंगे? आपने देश भर में घूम-घूमकर झूठी बातें फैलाई हैं। आज यह साबित हो गया है कि आपने झूठ बोला था, लेकिन आज आप माफी मांगने की हिम्मत नहीं रखते हैं। आप लोग जिगर थामकर सुनिए। आप आज दोबारा मिसलीड करेंगे, गलत बातें करेंगे, तो फिर आपको मुंह की खानी पड़ेगी। फिर हम कोई दूसरा बिल लेकर आएंगे, फिर से मैं आपका पर्दाफाश करूंगा। इसीलिए आप तर्क में जाइए, प्वाइंट में जाइए।

अध्यक्ष महोदय, एक परिवार में पुरुष और महिला सभी होते हैं। इसमें हमने एक सिंपल सा प्रावधान रखा है कि जब कोई भी मुसलमान वक्फ क्रिएट करता है, तो सबसे पहले उस परिवार की महिला का जो अधिकार है, उसको सुरक्षित करके ही आप वक्फ क्रिएट कर सकते हैं। पहले ऐसा होता था कि वक्फ क्रिएट कर दिया गया, लेकिन आपके बच्चों का अधिकार खत्म हो गया, महिलाओं का अधिकार खत्म हो गया। अब आप उसी प्रॉपर्टी को वक्फ क्रिएट कर सकते हैं, जिसके आप हकदार हैं, जिसमें आपका 100 प्रतिशत हिस्सा है। आप उसी संपत्ति को ही वक्फ क्रिएट कर सकते हैं। कोई बच्चों और महिलाओं का अधिकार नहीं छीन सकता है। यह बहुत बड़ा रिफॉर्म है। अगर मुसलमान चाहते हैं कि महिलाएं आगे न बढ़ें, तो ये लोग उसका विरोध करेंगे, लेकिन जो थोड़ा प्रोग्रेसिव सोच रखते हैं, अगर आप थोड़ा बारीकी से सोचेंगे, तो यह कितनी गलत बात है कि ये समाज में महिलाओं को दबाने का काम करते हैं और यहां पर जोर-जोर से बोलते हैं।

अध्यक्ष महोदय, सारा मैनेजमेंट या जो सरकार या प्राइवेट जमीन है, इन्होंने कमेटी के माध्यम से सुझाव दिया है कि हर चीज के लिए कलेक्टर क्यों ऑथराइज्ड किया गया है। हमने कमेटी की बात को माना है। कलेक्टर रैंक से ऊपर का जो अधिकारी होगा, वह यह देखेगा कि सरकारी जमीन और वक्फ बोर्ड के साथ कोई विवाद है या किसी मुतवल्ली के साथ कोई विवाद है, तो उसकी जांच कलेक्टर रैंक से ऊपर का अधिकारी करेगा। कमेटी ने यह सुझाव दिया था। आज उस सुझाव को मानकर, इस विधेयक को सदन में पेश किया जा रहा है।

महोदय, हम एक महत्वपूर्ण संशोधन लेकर आए हैं। मैं यह मानता हूं कि कोई इसका विरोध नहीं करेगा। यह शुरू में छूट गया था, मैं खुले दिल से यह कहना चाहता हूं, लेकिन हम बहुत सोच-समझकर इस प्रावधान को लेकर आए हैं। जब आप वक्फ प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ट्राइबल एरिया में जाकर आदिवासियों की जमीन को वक्फ क्रिएट कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए।

(1305/SPS/RCP)

हमारे देश के आदिवासियों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में आप वक्फ प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं कर सकते हैं। मैं आपको वक्फ ट्रिब्यूनल के बारे में बताऊंगा। ... (व्यवधान) अभी फ्लोर खुलने वाला है और मैं आपके हाथ में फ्लोर छोड़ने वाला हूं। आप मेरा पॉइंट ध्यान से सुन लीजिए। जो ट्रिब्यूनल है, उसमें हमने दो मेंबर्स का प्रस्ताव रखा था, लेकिन कमेटी ने कहा कि दो मेंबर्स ठीक नहीं है, इसमें तीन मेंबर्स होने चाहिए तो यह प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है। वक्फ ट्रिब्यूनल में तीन मेंबर्स फिक्स टेन्योर के साथ होंगे। आज टोटल लिटिगेशन के 14,417 केसेज़ हैं। आप सोचकर देखिए। ट्रिब्यूनल में जल्दी-जल्दी केसेज़ डिस्पोज हों, इसलिए तीन मेंबर्स का ट्रिब्यूनल बनाया गया है और उसके बाद उसके टेन्योर को फिक्स किया गया है। पहले एक बहुत स्ट्रिंजेंट प्रोविजन था और ऑटोमैटिक अपील करने का राइट नहीं था, ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के बाद स्पेशल रिव्यू पिटीशन ही कर सकते थे। आज हमने अच्छी सोच के साथ, खुले मन से यह कहा है कि अगर आप वक्फ बोर्ड के निर्णय से खुश नहीं है, वक्फ ट्रिब्यूनल के निर्णय से खुश नहीं है तो आप अदालत जा सकते हैं। हमने यह रास्ता भी खोल दिया है।

सर, उसके बाद एनुअल कंट्रीब्यूशन का कमेटी वालों का सुझाव था कि जो कंट्रीब्यूशन मुतवल्ली देते हैं, उसको घटाना चाहिए। उसको 7 प्रतिशत से 5 प्रतिशत कर दिया है, ताकि आप चैरिटेबल परपज़ के लिए ज्यादा पैसा खर्च कर सकें। जो अच्छी प्रॉपर्टी मैनेज करते हैं, वह तो सरकार को शाबाशी देंगे। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान हमको रखना पड़ा। आपने लॉ ऑफ लिमिटेशन को इस वक्फ बोर्ड के प्रावधान से हटा दिया था। हमने इसको लगाया है। The Limitation Act of 1963 will now apply to the waqf property claims from the date of commencement of this Act, aiming to reduce prolonged litigation. मैं मानता हूं कि यह एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। सबसे ड्रेकोनियन प्रोविजन इस एक्ट में था तो सेक्शन 40 था। आप लोग बार-बार कहते हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन सेक्शन 40 में ऐसा ही है। आप किसी भी जमीन

को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देते थे। उस प्रॉपर्टी को हमने हटा दिया है। किसी भी जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करके, फिर किसी गरीब के लिए उसको इस्तेमाल नहीं करना होता था। कुछ चंद लोग अपने के लिए और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते थे। … (व्यवधान) मैं तो नाम नहीं लूंगा। इस प्रावधान का मिसयूज़ हुआ, जिससे लाखों प्रॉपर्टीज की संख्या बढ़ गई। किसी प्रॉपर्टी को आप कैसे क्लेम कर सकते हैं? इसलिए इस सेक्शन 40 की वजह से कई मुद्दे इस देश में आए हैं। आज पूरे देश की क्रिश्चियन कम्युनिटी, कैथलिक चर्च काउंसिल के लोग, भारत चर्च के लोग, केरल में हों या देश भर में आज पुकार-पुकारकर क्यों कह रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल जल्दी पारित होना चाहिए। यह इसलिए है कि इस सेक्शन 40 का मिसयूज होता था। केरल के एमपी, तमिलनाडु के एमपी सोचिए कि अगर आपने गलती से इस बिल का विरोध कर दिया तो बाहर क्या विरोध झेलना पड़ेगा? आप अभी से कल्पना कीजिए। मैंने पिछली बार भी बताया था। मैंने आपको सुंदरेश्वर टेम्पल के बारे में बताया था। जब बाकी कोई धर्म ही नहीं था, तब सुंदरेश्वर टेम्पल तिरुचेंथुरई विलेज, तमिलनाडु में था। उसके वक्फ डिक्लेयर करने के बाद कर्नाटक में तो हजारों एकड़ जमीन का इश्यू है। हरियाणा में जठलाना विलेज, यमुनानगर में सिख गुरुद्वारे की जमीन पर कभी मस्जिद नहीं थी, वहां मुस्लिम के सेटलमेंट का रिकॉर्ड नहीं था, उसको भी वक्फ डिक्लेयर कर दिया था।

(1310/KDS/PS)

उसी प्रकार से केरल का मुनंबम का जो इश्यू है, उसे सब जानते ही हैं कि 6 सौ क्रिश्चियन फैमिलीज की जमीन को वक्फ बोर्ड ने वक्फ डिक्लेयर कर दिया। आगे जाने का रास्ता भी बंद कर दिया था। … (व्यवधान) अगर हम यह बिल पारित कर देंगे, तो उन गरीब, किसानों को अपनी जमीनें वापस मिल जाएंगी। ऐसी चीजों में आप लोगों को समर्थन करना चाहिए। … (व्यवधान) मैं तो मानता हूं कि अभी भी देर नहीं हुई है। अभी भी जिद करके राजनीतिकरण पर अड़े हुए हैं। आप मुश्किल में फंसने वाले हैं, विशेषकर हमारे कांग्रेस दल के लोगों को मैं कहना चाहता हूं। … (व्यवधान) हमारे जो बाकी साथी दल हैं, वे कांग्रेस के झांसे में न आएं। ये लोग आपको भी डुबो देंगे। इस बिल का विरोध करके इनको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आप सभी यह ध्यान से सुन लें। … (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, अंत में, चूंकि मैंने कहा है कि मैं सबसे अंत में जवाब दूंगा, अत: हम आगे इस पार्लियामेंट को भी वक्फ डिक्लेयर न कर दें, हम लोग आराम से भविष्य के लिए और अच्छा काम करें। मैंने पॉजिटिव वे में अपनी बात को रखा है। अंत में, मैं इस लाइन के साथ अपील करके अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। … (व्यवधान) देखिए मैं कितनी हिम्मत के साथ बोल रहा हूं-

“मेरी हिम्मत को तो सराहो, मेरे हमराही बनो।
मैंने एक शमा जलाई है हवाओं के खिलाफ।।”

आप सभी लोग इस बिल का समर्थन करें, … (व्यवधान) सदन में बैठे हमारे वरिष्ठ नेता मुझे सुन रहे हैं, इसके लिए मैं अपने-आप को बहुत भाग्यवान मानता हूं, मैं भाग्यशाली हूं। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरे जैसे एक साधारण सदस्य को इतने पुण्य का कार्य करने का मौका दिया है, इस बिल को यहां रखने का मौका दिया है, करोड़ों-करोड़ गरीब मुसलमान दुआएं देने वाले हैं। उन दुआओं में मैं अकेला क्यों रहूं, आपको भी ये दुआएं लेनी चाहिए। अत: मेरा अनुरोध है कि आप भी इस बिल का समर्थन करें।

धन्यवाद।

(इति)

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि वक्फ अधिनियम, 1995 का और संशोधन करने वाले विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित, पर विचार किया जाए।"

"कि मुसलमान वक्फ अधिनियम, 1923 का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

और

"कि विधेयक पर राय जानने के लिए 21 जुलाई, 2025 तक के लिए परिचालित किया जाए।" (108)

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री गौरव गोगोई जी।

1312 बजे

श्री गौरव गोगोई (जोरहाट) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। जब आदरणीय मंत्री महोदय बोल रहे थे, आपने विपक्ष से किसी को भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाने का अवसर नहीं दिया। मंत्री महोदय ने बिना किसी पॉइंट ऑफ ऑर्डर के अपनी बात रखी। वही संरक्षण आप मुझे दें। मैं आपसे यही अपेक्षा करता हूं। मंत्री महोदय ने अपनी पूरी बात रखी, आपने उनको कुछ नहीं कहा। उन्होंने राजनीतिक आरोप लगाए, उन्होंने हाउस को मिसलीड किया, आपने सुना।

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट गौरव जी, आप सदन पर हमेशा यह आरोप कैसे लगा सकते हैं कि आपने उनको कुछ नहीं कहा? आप सभी पहले बैठिए। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, इस सदन में संसदीय व्यवस्था के अनुसार सबको समय आवंटित होता है। आवंटित दल का माननीय सदस्य अपनी बात रख सकता है। जब मैंने व्यवस्था दे दी कि जब कोई माननीय सदस्य बोलेगा, तो बीच में आज शून्य-काल, पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं दिया जाएगा, तो नहीं दिया जाएगा।

माननीय गौरव गोगोई जी।

… (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (जोरहाट) : अध्यक्ष महोदय, देखिए वे शुरू हो गए। आप अनुमति दे रहे हैं। … (व्यवधान) क्या आपने हमें अनुमति दी?

माननीय अध्यक्ष : आप कृपया एक मिनट बैठिए।

… (व्यवधान)

श्री किरेन रिजिजू : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने … (व्यवधान) हम शांति से सुन रहे हैं। … (व्यवधान) आप कृपया सुनें। … (व्यवधान) अपना भाषण देने से पहले इन्होंने बोला कि मैंने मिसलीड किया। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सभी कृपया एक मिनट बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सभी कृपया एक मिनट बैठ जाइए। मैंने माननीय मंत्री जी को आपके भाषण के बीच टोकने के लिए अलाऊ नहीं किया है। आपने तो भाषण शुरू ही नहीं किया था।

… (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (जोरहाट) : अध्यक्ष महोदय, मैंने भाषण शुरू कर दिया था।

माननीय अध्यक्ष : नहीं, आप भाषण शुरू करने वाले थे, वे दूसरे विषय पर अपनी बात रखना चाह रहे हैं। वे आपके भाषण को नहीं काट रहे हैं। वे अपनी बात किसी दूसरे विषय पर रखना चाहते हैं।

… (व्यवधान)

(1315/YSH/SMN)

श्री किरेन रिजिजू : अध्यक्ष महोदय, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि हम लोग शांति से बैठकर इनकी बात सुनेंगे। चर्चा का पूरा समय तय हो चुका है। हम सबकी बातों को नोट भी करेंगे और सबकी बात भी सुनेंगे। मेरा सिर्फ इतना ही अनुरोध है कि जैसे माननीय सदस्य कहेंगे कि मैंने मिसलीड किया

तो मैंने कौन से पॉइंट पर मिसलीड किया, उसे भी आप बता दें। ऐसे ही आरोप न लगाएं। मेरा बस इतना ही कहना है। आप तर्क बताइएगा कि कहां पर मिसलीड किया गया, क्योंकि मुझे जवाब देना है। … (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (जोरहाट) : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने वर्ष 2013 में यूपीए गवर्नमेंट के संदर्भ में जो कहा, वह पूरा का पूरा मिसलीडिंग है, झूठ है। हम डिमांड करते हैं कि वे उसे ऑथेंटिकेट करें। इसीलिए बार-बार इन्होंने आरोप लगाए, बार-बार इन्होंने भ्रम फैलाया और इसीलिए हम भी अपनी बात रखेंगे। कृपया आप भी सुनने का धैर्य रखिए।

अध्यक्ष महोदय, मेरा भी सौभाग्य है कि पिछले सदन में मैंने अयोध्या राम मंदिर पर अपनी पार्टी का पक्ष रखा था और आज वक्फ संशोधन, 2025 पर अपने दल का और विपक्ष की तरफ से अपना पक्ष रख रहा हूँ। अयोध्या राम मंदिर में भी और आज के वक्फ संशोधन में भी मेरा एक ही मार्गदर्शक है और वह 'भारत का संविधान' है।

'भारत का संविधान', जो कहता है कि हमारे भारत में हर व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है और साथ-साथ में यह कहता है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता इसमें निहित है।

यह बिल, इस संविधान का, जो मूल ढांचा है, उस पर आक्रमण करता है और इनका पूरा भाषण हमारे संविधान के मौलिक अधिकार पर, हमारे संघीय ढांचे पर एक तरह का आक्रमण था। आज इस सरकार के, इस बिल के द्वारा चार मूल उद्देश्य हैं। पहला मूल उद्देश्य संविधान को कमजोर करने का है to dilute the Constitution. इनका दूसरा उद्देश्य भ्रम फैलाना है to defame the minority communities of India. इनका तीसरा उद्देश्य to divide the Indian society का है। हमेशा हमारे बीच में एक लिटिगेशन चलता रहे, मसला और बढ़ता जाए, यह इनका उद्देश्य है। इन तीनों उद्देश्यों, dilute, defame, divide के बाद इनका चौथा उद्देश्य यह है कि to disenfranchise the minority communities.

आज ये माइनोरिटी कम्यूनिटीज़ के प्रति अपनी संवेदना जता रहे हैं। सर, कुछ हफ्ते पहले देश में विभिन्न जगहों पर लोगों ने ईद की एक-दूसरे को शुभकामनाएं दीं और क्या आपको पता है कि कहां-कहां पर इनकी डबल इंजन की सरकार ने लोगों को रास्ते पर ईद का नमाज भी पढ़ने नहीं दी? क्या ये बात करेंगे?

आप अल्पसंख्यकों के प्रति अपनी संवेदना जताते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि लोक सभा में आपके कितने अल्पसंख्यक एमपीज़ हैं? आप पहले उसका विवरण दीजिए और फिर हमें बताइए कि आपके दिल में कितनी संवेदना है?

सर, जिस दिन यह बिल इंट्रोड्यूस हुआ, उस दिन भी मैंने आदरणीय मंत्री जी को सुना और आज भी मैंने उनको सुना। जिस दिन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, उस दिन भी अगर आप उनका स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा था कि इस बिल को लाने से पहले बहुत विस्तार रूप से इस बिल को लाने के लिए चर्चा हुई है।

सर, यह पूरा का पूरा मिसलीड करना है। वर्ष 2023 में, चूँकि सरकार वर्ष 2024 में आई। ये वर्ष 2024 के बीच में इस बिल को लेकर आए। वर्ष 2023 में चार बार माइनोरिटी अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई।

(1320/RAJ/SM)

यह मुंबई में 13 जुलाई, दिल्ली में 21 जुलाई, लखनऊ में 24 जुलाई और दिल्ली में 30 सितम्बर और 7 नवम्बर को दो बार हुई। मैं आदरणीय सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की जो ये पांच मीटिंग्स हुईं, उनकी मिनट्स को टेबल पर रखें। एक भी मीटिंग में नया वक्फ अमेंडमेंट बिल चाहिए, उसका जिक्र भी नहीं हुआ था। इनके मिनट्स हमारे पास हैं। हमने ये देखें हैं। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की जितनी बार मीटिंग्स हुईं, सबमें 'वामसी पोर्टल' को लेकर विचार-विमर्श हुआ, लेकिन एक भी मीटिंग की मिनट में एक भी स्टेटमेंट नहीं है कि हमें एक नया वक्फ अमेंडमेंट बिल चाहिए।

मैं यही पूछना चाहता हूं कि अगर नवम्बर, 2023 तक मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने यह वाजिब ही नहीं समझा कि एक नए बिल की जरूरत है। मैं बस इतना ही पूछना चाहता हूं कि यह बिल मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने बनाया है या किसी और दूसरे विभाग ने बनाया है। यह बिल कहां से आया है?... (व्यवधान)

सर, ये बात करते हैं कि ये संविधान के पक्ष में हैं, लेकिन ये किस प्रकार से संविधान के विरोध में हैं, मैं यह बताना चाहता हूं। इसमें क्लॉजेज 3r(a) and 3r(i) हैं। क्लॉज 3r(a) कहता है कि any person showing or demonstrating that he is practising Islam.

सर, आज देश में अल्पसंख्यकों की ऐसी दशा हो गई है कि आज उन्हें सरकार को अपने धर्म का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। यह कितनी दु:ख की बात है? भारत सनातन धर्म का एक देश है, जो सात हजार वर्ष पुराना है और इससे भी पुराना यह देश है, जिसमें हर धर्म, संस्कृति और परंपरा का हम सम्मान करते हैं। आज हमें सरकार को यह सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि हम इस धर्म में विश्वास रखते हैं। क्या ये दूसरे धर्म के लोगों से इस प्रकार सर्टिफिकेट मांगेंगे कि आपका पांच साल हुआ है या नहीं हुआ है। यह सिर्फ इसी बिल में क्यों है? ये संविधान के विरोध में नहीं हैं, ये आर्टिकल 26 के विरोध में नहीं हैं? सरकार धर्म के मामले में क्यों दखलअंदाजी कर रही है कि आप इस धर्म में विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, आप पहले मुझे उसका सर्टिफिकेट दीजिए। ये किस प्रकार का न्याय कर रहे हैं? हम किस प्रकार का कानून बना रहे हैं?

सर, क्लॉज 3r(1) क्या कहता है? आज इन्होंने क्लॉज 3r(1) हटा ही दिया है। 3r(1) कहता है कि a waqf by user but such waqf shall not cease to be a waqf by reason only of the user having ceased irrespective of the period of such cesser.

सर, इसे हटाने की क्या जरूरत थी? वक्फ बाई यूजर और इसके बारे में बार-बार विभिन्न जजमेंट्स आए हैं। सर, मैं जजमेंट पढ़ना चाहूंगा - एम सिद्दीक - राम जन्मभूमि केस :-

Muslim law does not require an express declaration of a waqf in every case. The dedication resulting in a waqf may also be reasonably inferred from the facts and circumstances of a case or from the conduct of the wakif.

इनकी पूरी परंपरा को विभिन्न जजमेन्ट्स ने ताकत दी है और आज विभिन्न क्लॉजेज के द्वारा जजमेंट्स और माननीय हाई कोर्ट की ताकत को भी यह कमजोर कर रही है।

सर, वक्फ क्या है, पहले हमें यह भी समझना चाहिए।

Waqf means the permanent dedication by any person of any movable or immovable property for any purpose recognised by the Muslim law as pious, religious and charitable.

सर, आज ये कहना चाहते हैं कि जो पांच सालों से इस्लाम की प्रैक्टिस कर रहें है, वे हीं इसमें आ सकते हैं। जो इनका क्लॉज 3r(a) है। आज इन्होंने सेक्शन 104 को हटाने के पक्ष में कहा है, लेकिन सेक्शन 104 यही कहता है कि कोई भी व्यक्ति वक्फ कर सकता है।

(1325/SK/RP)

यही तो हमारा सेक्युलर नेचर है कि कोई भी व्यक्ति वक्फ कर सकता है। एक व्यक्ति का जो अधिकार है, आप उस अधिकार को क्यों छीन रहे हैं? सिर्फ ऑप्टिक्स, इनको बाहर दिखाना है कि ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इन्होंने क्या कहा? क्लॉज़ 9सी में कहते हैं कि हम दो महिलाओं का इन्कलूजन कर रहे हैं। यह तो पहले भी था, आप 1995 एक्ट पढ़ें तो यह पहले भी था। उसमें यह भी था कि दो से ज्यादा सदस्य महिला हो सकती थीं, इन्होंने तो दो पर ही कैप कर दिया। यह तो पहले से ही था। यह सिर्फ एक दिखावा है। ये क्लॉज़ 3 और 4 में जो विशेष रूप से विडो, डिवोर्स वूमेन और ऑर्फन की बात करते हैं, लेकिन यह तो पहले भी था। क्लॉज़ 3आर में वेलफेयर का उल्लेख है, वेलफेयर एंड अदर परपजेस में विडो, डिवोर्स वूमेन एंड ऑर्फन पहले से ही थे। लेकिन इनको भ्रम फैलाना है कि वर्तमान एक्ट महिलाओं के खिलाफ है। इनको भ्रम फैलाना है कि वर्तमान में महिलाओं को कोई भूमिका नहीं मिल रही है। यही इनका काम है। कानून में पहले से ही ये सारे प्रावधान हैं, चाहे किसी विधवा का संरक्षण हो या महिलाओं को और समर्थन देना हो।

सर, ये रिफार्म की बात करते हैं। क्लॉज़ 33 में जो रेवेन्यू आना चाहिए, उसे घटा दिया। पहले सात परसेंट रेवेन्यू वक्फ बोर्ड के लिए आता था, इन्होंने पांच प्रतिशत कर दिया। इसे गिरा दिया। क्यों गिरा दिया? क्या आप नहीं चाहते कि वक्फ बोर्ड और अच्छे तरीके से चले? आप नहीं चाहते कि इसमें नई टेक्नोलॉजी आए? अगर कहीं खामियां हुई भी हैं, माना कि देश का कोई भी कानून परफेक्ट नहीं है, माना कि कई प्रदेशों में खामियां हैं, चाहे केरल में हो, आंध्र प्रदेश में हो, कर्नाटक में हो, दिल्ली में हो या पंजाब में हो। क्या आप नहीं चाहते कि यह ट्रिब्यूनल और अच्छी तरीके से चले? ये चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड और कमजोर हो और इसीलिए जो रेवेन्यू वाला क्लॉज़ है, सात प्रतिशत

से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया। मेरा सुझाव है कि इसे सात प्रतिशत से पांच प्रतिशत घटाने के बजाय सात प्रतिशत से 11 प्रतिशत करें, इस रेवेन्यू को इनक्रीज करें।

सर, आज ये बात करते हैं कि यह रिफॉर्म्स ला रहे हैं। आप सैक्शन 52ए, क्लॉज़ 26 पढ़िए।

Clause 26, section 52A says:-

"26. In section 52A of the principal Act,—

(a) in sub-section (1),—

(i) for the words "rigorous imprisonment", the word "imprisonment" shall be substituted;"

सर, ये डाइल्यूट कर रहे हैं। पेरेंट एक्ट कहता था कि रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो। आप बार-बार यह कह रहे हैं कि फलाना हो रहा है, ढमकाना हो रहा है, तो आप इस क्लॉज़ को क्यों कमजोर कर रहे हैं? ये सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं, मंशा इनकी कहीं और है। मंशा के बारे में मैं एक टिप्पणी देना चाहूंगा कि आज एक विशेष समाज की जमीन पर इनकी नजर है, कल समाज के दूसरे अल्पसंख्यकों की जमीन पर इनकी नजर जाएगी। आज इस बिल सिर्फ के जरिए एक विशेष समुदाय की जमीन पर इनकी नजर है, कल दूसरे समुदायों की जमीन पर इनकी नजर जाएगी। इस बिल में संशोधन की जरूरत है। मैं नहीं कहता कि संशोधन की जरूरत नहीं है। मंत्री महोदय ने बार-बार इसका जिक्र किया है कि बिल का कितनी बार संशोधन हुआ। इसकी शुरुआत आप जहां से भी करें, वर्ष 1810, वर्ष 1817, वर्ष 1954, वर्ष 1984, वर्ष 1995, सच्चर कमेटी और रहमान कमेटी, 2003। संशोधन होना चाहिए, मैं नहीं कहता कि हम संशोधन के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन संशोधन इस प्रकार का हो जिससे बिल और ताकतवर बने।

सर, ये ऐसे संशोधन लाए हैं जिससे इस देश में और समस्याएं बढ़ेंगी, और मसले बढ़ेंगे, और लिटिगेशन्स होंगे। आप क्लॉज़ 40ए सैक्शन107 पढ़िए।

(1330/KN/VR)

Sir, please refer to Section 107. It says:

"On and from the commencement of the Waqf (Amendment) Act, 2025, the Limitation Act, 1963 shall apply to any proceedings."

आप जितनी बार भी इतिहास में जाएं, क्योंकि यह जो प्रक्रिया है, जब से हमारे देश में इस्लाम आया है, तब से यह प्रक्रिया चल रही है। बहुत से ऐसे कब्रिस्तान हैं, जहां पर कोई पेपर नहीं है, कोई कागज नहीं है, लेकिन जजमेंट हैं। जजमेंट इनके पक्ष में हैं। आज बार-बार हमने कहा है कि लिमिटेशन एक्ट को बढ़ाया जाए, क्योंकि यह प्रेक्टिकल एक समस्या है। आज यह नहीं चाहते, क्योंकि ये चाहते हैं कि देश के अलग-अलग कोने में यहां केस लगे, वहां केस लगे। हमारे यहां पर भाई-चारे का जो भी वातावरण है, उस भाई-चारे के वातावरण को ये तोड़ना चाहते हैं। यही इनका राजनीतिक उद्देश्य है।

सर, इन्होंने किस तरह से बोर्ड का डाइल्यूशन किया है? क्लॉज 44 कहता है कि यह जो सेक्शन 110 है, वह पूरे तरीके से हटा दिया है। सेक्शन 110 क्या है? Section 110 is about powers to make regulations by the Board. यह पूरा हटाना चाहते हैं। पैरेंट एक्ट में क्या लिखा है?

> "The Board may, with the previous sanction of the State Government."

मतलब राज्य सरकार की अनमुति के द्वारा बोर्ड्स कुछ नियम बना सकते हैं। ये उसे पूरा हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्लॉजेज 'एफ' और 'जी' को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये राज्य सरकार की पावर कम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्लॉज 43 पढ़िये। इसका सेक्शन 109, जिसमें क्लॉज 1ए और क्लॉज 4 ओमिट करता है। सेक्शन 109 क्या है? Section 109 is about the power of the State Government to make rules. आप इसमें भी कटौती करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लॉज 1(*ia*) क्या कहता है? Section109(*1*)(*ia*) says:

> "Other particulars which the report of the Survey Commissioner may contain under clause *(f)…*"

इसमें स्टेट गवर्नमेंट सर्वे कमिश्नर के पक्ष में कुछ नियम बना सकता है। आप उस पावर को हटा रहे हैं। Clause 4 speaks about the manner of election of members of the Board by means of a single vote. आप इसे हटा रहे हैं। आप इलैक्शन की प्रक्रिया हटाना चाहते हैं और आप रिफॉर्म की बात करते हैं।

सर, आप 83(9) को देखिये। आज बार-बार यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि हाई कोर्ट की कोई भूमिका नहीं है। यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर आता है, वही है और उसके बाद हाई कोर्ट पावरलैस है। ऐसी बात नहीं है। आप पैरेंट एक्ट पढ़िये। आप पैरेंट एक्ट के सेक्शन 83 को पढिये। पैरेंट एक्ट के सेक्शन 83(9) के बाद क्या लिखा गया है? Section 83(9) in the parent Act says:

> "Provided that a High Court may on its own motion or on the application of the board or any person aggrieved, call for and examine the records relating to any dispute and may confirm or reverse the decision."

वर्ष 2013 के संशोधन के बाद यह पावर हाई कोर्ट में, पैरेंट एक्ट में है ही। आप बार-बार क्यों ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि हाई कोर्ट का कोई रोल नहीं है। अगर कहीं अन्याय हुआ है, चाहे दक्षिण में हो, उत्तर में हो, पूर्वांचल में हो, पश्चिम में हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अंडर सेक्शन 97 ऑफ द पेरेंट एक्ट, आपके पास पावर्स हैं कि कहीं अगर नाइंसाफी हो तो

आप सेक्शन 97 के द्वारा स्टेट बोर्ड को डायरेक्शन दे सकते हैं। मैं सेक्शन 97 को पढ़ूंगा। ...(व्यवधान) Section 96 says:

> "For the power of the Central Government to regulate secular activities of auqaf powers….."

Then, Section 97, which is about directions by the State Government, says,

> "Subject to any directions issued by the Central Government under Section 96, the State Government, from time to time, give to the Board such general or specific directions as the State Government thinks fit."

मैं जानना चाहूंगा कि आपकी बहुत जगह डबल ईंजन की सरकार है। आपकी बहुत जगह डबल ईंजन की सरकार है और कहीं-कहीं आपके सहयोगी दल की भी सरकार है। आपने पिछले दस साल में कितनी बार सेक्शन 97 का इस्तेमाल किया?

(1335/VB/SNT)

अगर कहीं भी नाइंसाफी हुई, तो आपने कितनी बार सेक्शन 97 का इस्तेमाल किया? आप बताइए? उसके बाद आप कहिए कि यह पेरेंट एक्ट कमजोर एक्ट है। पूरी ताकत दी हुई है। अगर कहीं गलती हुई है, कहीं सुधार करना है, तो हमारी संवेदना है। चाहे केरल में मनम्बम की बात हो, उसके लिए हमारी संवेदना है। लेकिन आपके पास भी वह ताकत है, आपने कितनी बार इस ताकत का इस्तेमाल किया?

सर, आप देखें कि कितनी दुख की बात है कि सेक्शन 64, क्लॉज 29(L) में लिखा है: Clause 29(l) says: "…is a member of any association which has been declared unlawful under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967…".

आप यूएपीए लाये, ठीक है। आप कहीं रिग्रस इम्प्रिज़नमेंट को सिम्पलीफाई करके प्रिज़नमेंट लाना चाहते हैं और कहीं आप यूएपीए में संशोधन लाना चाहते हैं। यह आपका हक है। आप बस हमें इतना बताएं कि और कौन से स्टेट बोर्ड और कौन से धार्मिक बोर्ड में यह यूएपीए का प्रोविज़न लाने वाले हैं या यह सिर्फ इसी बिल में है? विभिन्न स्टेट्स के विभिन्न धर्मों के जो चैरिटेबल एक्ट्स हैं, क्या उनमें भी यूएपीए एक्ट आएगा या सिर्फ इसी में आएगा? आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप किस कौम को भ्रमित करना चाहते हैं? जिसने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, उस कौम को जिसने 1857 में मंगल पांडे के साथ अपनी शहादत दी, आप उस कौम पर दाग लगाना चाहते हैं? जिसमें लगभग दो लाख उलेमा शहीद हुए, आप उस कौम पर दाग लगाना चाहते हैं? जिन्होंने भारत छोड़ो आन्दोलन में हमारा साथ दिया, आप उस कौम पर दाग लगाना चाहते हैं? जिन्होंने 6 अप्रैल, 1930 को दांडी मार्च का सपोर्ट किया, आप उस कौम पर दाग लगाना चाहते हैं? जिन्होंने वर्ष 1926

में, ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी का खंडन किया, आप उस कौम पर दाग लगाना चाहते हैं? मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने वर्ष 1924 में कम्प्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की।… (व्यवधान)

जब आप लोग भारत छोड़ो आन्दोलन का समर्थन नहीं कर रहे थे, तब उस कौम ने भारत छोड़ो आन्दोलन का समर्थन किया था। जब आप लोग अंग्रेजों को मर्सी पेटिशन लिख रहे थे, तो उन्होंने मालटा और इजिप्ट में शहादत दी। आप किस कौम पर दाग लगाना चाहते हैं, जिन्होंने वर्ष 1924 में जिन्ना के दो नेशन की थ्योरी को पूरी तरह से नकारा था, आप उस कौम पर दाग लगा रहे हो? सर, इनका यही है डिवाइड एंड रूल।

बहुत से लोग पूछते हैं कि हमारा राष्ट्रवाद क्या है? Nationalism for us is being united in our shared love for our Bharat Mata and the mutual respect for her culture, language, dress, food, and religion. It is the love for our national flag, the *tiranga*, जिसका सम्मान आपने नहीं किया था। It is the sacrifice of the Indian freedom movement, जिसमें आपने भाग नहीं लिया। It is our thirst for knowledge to seek excellence with limited resources, to be creative, to have the courage, to acknowledge the injustice of the past, and have the wisdom to build new bridges. यह है हमारा राष्ट्रवाद। यह राष्ट्रवाद आज हमारे संविधान में उल्लिखित है।

सर, बार-बार यह सरकार कहती है कि यह माइनोरिटीज के पक्ष में है, लेकिन जब अमेरिका से माइनोरिटी कमीशन की रिपोर्ट आती है, जब माइनोरिटीज के साथ नाइंसाफी होती है, तो इनको दुख होता है।

(1340/PC/AK)

जब यूएस के रिलीजियस कमीशन की रिपोर्ट आती है, तब इनको दुख होता है। … (व्यवधान)

सर, ये बार-बार ऑप्टेक्स की बात कर रहे हैं। क्लॉज़-42, सैक्शन-108(ए) इन्होंने डिलीट कर दिया है। ये कहते हैं कि ओवरराइडिंग प्रिंसिपल कैसे आ सकता है? मंत्री महोदय को ओवरराइडिंग प्रिंसिपल से आपत्ति है। मैं पहले सबके लिए बता दूं कि सैक्शन-108 क्या है। … (व्यवधान) मैं उसे पढ़ देता हूं। … (व्यवधान) आपके लिए भी है, हम तो जेपीसी में थे। … (व्यवधान)

सर, मैं जेपीसी के बारे में कहूंगा। … (व्यवधान) दुख की बात करनी पड़ेगी। … (व्यवधान) जेपीसी के लिए ये कहते हैं कि इन्होंने सबकी राय सुनी, लेकिन आपको भी पता है कि विपक्ष के द्वारा एक भी संशोधन को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। … (व्यवधान) हमने भी बहुत सी जेपीसी देखी हैं, लेकिन ऐसी जेपीसी नहीं देखी, जहां क्लॉज़-बाय-क्लॉज़ डिसक्शन भी नहीं हुआ। … (व्यवधान) पूरे तरीके से वोटिंग हो गई। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इतना ध्यान रखें कि जेपीसी भी संसद का भाग होती है। इसलिए, आप इस बात का ध्यान रखें।

… (<u>व्यवधान</u>)

श्री गौरव गोगोई (जोरहाट) : सर, इन्होंने जेपीसी की बात की थी। … (व्यवधान) अगर ये नहीं कहते कि जेपीसी में बहुत विस्तृत रूप से चर्चा हुई, तो मैं भी उसकी बात नहीं करता। … (व्यवधान) इन्होंने इसका

उल्लेख किया, इसलिए, मैं इस बारे में कहना चाहता हूं। … (व्यवधान) इन्होंने उल्लेख किया कि जेपीसी में बहुत से लोग आए। … (व्यवधान) ऐसे भी लोग आए, जिनको वक्फ को लेकर कोई भी जानकारी नहीं थी। … (व्यवधान) उन्हें कोई जानकारी नहीं थी, ऐसे भी लोग आए। … (व्यवधान) जेपीसी के मुद्दों के बारे में हमने बार-बार स्पीकर को चिट्ठी के द्वारा अवगत कराया है, इसलिए, हम यह विषय उठा रहे हैं। … (व्यवधान) इसमें से सैक्शन 108(ए) ये हटाना चाहते हैं, जिसमें power to have overriding effect है। लेकिन, ओवरराइडिंग का यह जो प्रिंसिपल है, यह आज भी विभिन्न स्टेट एक्ट्स में है। तेलंगाना के एक्ट में आज भी ओवरराइडिंग प्रिंसिपल है। तमिलनाडु के एक्ट में आज भी यह ओवरराइडिंग प्रिंसिपल है। आज भी आरटीआई (राइट टू इनफॉर्मेशन) एक्ट, 2000 में नालासार जैसी यूनिवर्सिटी में यह ओवरराइडिंग प्रिंसिपल है। आपको सिर्फ यहां पर ओवरराइडिंग प्रिंसिपल से मुश्किल है, लेकिन दूसरे एक्ट्स में जो ओवरराइडिंग प्रिंसिपल है, सैक्शन-108(ए) के द्वारा सिमिलर प्रोविजन्स हैं, उनमें आपको तकलीफ नहीं है।

सर, जैसे इन्होंने हमारे कुछ दोस्तों को सलाह दी, वैसे ही मैं भी इनके कुछ दोस्तों को सलाह देना चाहता हूं। … (व्यवधान) क्लॉज़-40(ए), सैक्शन-107 – जो लिमिटेशन एक्ट हटाया गया है, आंध्र प्रदेश के एक्ट में यह लिमिटेशन एक्ट ऐसा ही एक लॉ है, जैसे पैरेन्ट एक्ट में है। अत: मैं भी इनके आंध्र प्रदेश के सदस्यों से कहना चाहता हूं कि जो प्रोविजन आपके आंध्र प्रदेश के एक्ट में हैं, आज वैसे प्रोविजन्स यह सरकार हटाने वाली है। … (व्यवधान) आपको भी बाद में आंध्र प्रदेश में अपनी जनता को उत्तर देना पड़ेगा। … (व्यवधान)

तेलंगाना और तमिलनाडु की हमने बात रखी है। … (व्यवधान) इसलिए, मैं बार-बार कहना चाहूंगा कि हमें संशोधनों से कोई परहेज नहीं है। लेकिन, संशोधन ऐसे हों, जो हमारी मदद करें। आज ये डिजिटाइजेशन की बात करते हैं। … (व्यवधान) आज से 15 वर्ष पहले हमने 'वामसी', एक डिजिटल पोर्टल खोल दिया था। … (व्यवधान) सर, अब देखिए कि इस सरकार के कैसे काम हैं। डिजिटाइजेशन फिलहाल अभी चल रहा है, डिजिटाइजेशन हो रहा है। माना कि 'वामसी' में कुछ खामियां हैं, तो आप उनको ठीक कीजिए। … (व्यवधान) आप दस सालों से क्या कर रहे थे? … (व्यवधान) आप दस सालों से 'वामसी' को क्यों नहीं ठीक कर पा रहे हैं? … (व्यवधान) आप वह काम तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब आप एक दूसरा नियम बना रहे हैं कि दोबारा एक नए पोर्टल पर अपने रिकॉर्ड्स आप अपलोड कीजिए। … (व्यवधान)

सर, कितनी बार हम इस सरकार को अपने कागज दिखाएं? … (व्यवधान) अगर इनका 'वामसी' का काम अधूरा है, तो उसको वे संपूर्ण करें। लेकिन नहीं, इनका उद्देश्य यही है कि देश में मसला और बढ़े। … (व्यवधान) इसीलिए, हम आज इस बिल के विरोध में हैं। … (व्यवधान) यह बिल हमारे देश की अखंडता, यह बिल हमारे संवैधानिक मूल्य, यह बिल हमारे अल्पसंख्यकों के सम्मान, यह बिल हमारे अमन, शांति और सदन और जेपीसी में जिस प्रकार से विचार होना चाहिए था, उस सबके विरोध में है। … (व्यवधान) इसीलिए, आज पूरा इंडी एलायंस इस बिल के विरोध में खड़ा हुआ है। … (व्यवधान)

यही बात कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, शुक्रिया। (इति)

(1345/CS/UB)

1345 बजे

श्री रवि शंकर प्रसाद (पटना साहिब) : महोदय, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर दिया गया है।

1345 बजे (श्री दिलीप शइकीया पीठासीन हुए)

सर, मैं विपक्ष की बात सुन रहा था। मुझे उनके तर्क को समझने में थोड़ी कठिनाई हो रही है। वक्फ बिल में संशोधन होना चाहिए, लेकिन नहीं भी होना चाहिए, ये दोनों तर्क कैसे चलेंगे? सबसे पहले बात थोड़ी संविधान की ही कर लेते हैं। आजकल लाल किताब बहुत घूमती है। जब भी कोई विषय होता है, एक संविधान की लाल किताब दिखाते हैं।

सर, हम संविधान की हरी किताब लेकर आए हैं, जो संसद में रखी हुई है, तो मैं आज इसी को दिखाऊँगा। भारत के संविधान के मौलिक अधिकार में एक धारा 15 है। धारा 15 में लिखा हुआ है कि महिलाओं के साथ कोई विभेद नहीं होगा और सरकार महिलाओं के विकास के लिए कानून बना सकती है। अगर यह वक्फ बिल देश की खवातीनों के विकास के लिए, वक्फ में उनकी भूमिका के लिए लाया जा रहा है, तो यह कानून गैर संवैधानिक कैसे हो गया?

सर, संविधान की धारा 15 में यह भी लिखा हुआ है कि सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के विकास के लिए सरकार कार्यवाही कर सकती है। यह सच्चाई है। मैं जिस प्रदेश से आता हूँ। … (*Interruptions*) सर, जरा इन लोगों को बिठा दीजिए।

HON. CHAIRPERSON (SHRI DILIP SAIKIA): Hon. Members, please be seated.

श्री रवि शंकर प्रसाद (पटना साहिब) : आप जरा बैठ जाइए, मैं भी आपसे आग्रह करूँगा। वेणुगोपाल जी, जरा मैं बोल लूँ, आप भी सुन लीजिए। … (*Interruptions*) Mr. Venugopal ji, I am speaking. Kindly pay some attention.

सर, मैं यह कह रहा हूँ कि मैं जिस बिहार प्रदेश से आता हूँ, वहाँ बहुत सारे पिछड़े मुसलमान हैं। उत्तर प्रदेश में भी हैं, हम उन्हें पसमांदा कहते हैं। वे कई कैटेगरी के हैं। उनको वक्फ के मैनेजमेंट में अवसर नहीं मिलता और अगर संविधान की धारा 15 के आलोक में इस बिल में इस बात का प्रावधान किया जा रहा है कि पिछड़े मुसलमानों को भी वक्फ बोर्ड में जगह दी जायेगी, तो इनको परेशानी क्यों है?… (व्यवधान)

सर, जहाँ तक सवाल है, मैं यह बताना चाहता हूँ कि संविधान की दुहाई का जवाब मैं संविधान से ही दे रहा हूँ। यह वक्फ में जो संशोधन हो रहा है, मौलिक अधिकारों की धारा 15 में उसकी अनुमति मिलती है।

सर, धारा 25 की बात की गई। हमारे विपक्ष के उपनेता का मैं सुन रहा था। आपने धारा 25 का जिक्र किया, तो आप मेरे साथ धारा 25 का क्लॉज 2 भी पढ़ लीजिए। सर, मैं इसे आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ: "Nothing in this article shall affect the operation of any existing law or prevent the State from making any law regulating or restricting any economic, financial, political or other secular activity which may be associated with religious practice". अगर वक्फ की जमीन बर्बाद हो रही है, अगर वक्फ की जमीन लूटी जा रही है, अगर वक्फ की जमीन हड़पी जा रही है, तो संविधान की धारा 25 यह अधिकार देता है कि कानून बन सकता है। कृपया करके अगर आप संविधान की कोई धारा कोट करते हैं तो पूरी की पूरी कोट करें।

सर, मैं इसके प्रावधानों पर आने से पहले एक और बुनियादी बात उठाना चाहता हूँ। वक्फ के मायने क्या हैं? माननीय मंत्री जी ने इसे विस्तार से बताया है। Waqf is not a religious body. Waqf is just a statutory body. वह कोई धार्मिक संस्था नहीं है। वह सिर्फ एक वैधानिक संस्था है। सर, दूसरा सवाल आता है…

(व्यवधान) आप अपनी पारी का इंतजार कीजिए। You are a very eloquent speaker I know. Please wait for your turn.

(1350/RV/GM)

सर, इसी से एक और सवाल उठता है कि मुतवल्ली की क्या भूमिका होती है। मैं चाहता हूं कि आज इस बात को सदन में रखूं और सदन के माध्यम से यह देश में जाए। मुतवल्ली को सिर्फ मैनेजर बोला जाता है। यह मैं नहीं बोल रहा हूं। 'मुल्लाज़ प्रिंसिपल्स ऑफ मोहम्मडन लॉ' - इस किताब के मैं तीन लाइन्स को क्वोट करूंगा। एम. हिदायतुल्ला, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने इसको रिवाइज़ किया था। वे बहुत बड़े ज्यूरिस्ट थे। मैं इसके सिर्फ एक पैराग्राफ को पढ़ूंगा। इसमें मुतवल्ली से संबंधित पैरा 202 में लिखा है - Under the Mohammaden law, the moment a Waqf is created, all rights to property are passed on to the Waqif and vested in Almighty. The mutawalli has no right in the property. It belongs to the Waqf. The property is not vested in him. He is not a trustee. He is merely a superintendent or a manager.

मुतवल्ली साहब आठ लाख प्रॉपर्टीज़ के केवल मैनेजर हैं और क्या हो रहा है? क्या सरकार खामोश रहे? अगर वक्फ देने वाले की प्रॉपर्टीज़ लूटी जा रही है तो क्या खामोशी चलेगी? यह तो नहीं चलेगी।

सर, इस बहस में मैं कुछ और गहरे सवाल उठाना चाहता हूं, जो उठने चाहिए। आठ लाख सम्पत्ति हैं। इसमें कब्रिस्तान भी होंगे, इसमें मस्ज़िद भी होंगे। आज मैं यह सवाल संसद के सामने उठाना चाहता हूं कि कितने स्कूल बने वक्फ की सम्पत्ति पर, कितने अस्पताल बने वक्फ की सम्पत्ति पर, कितने स्किल सेन्टर्स खुले वक्फ की सम्पत्ति पर, कितने अनाथालय खुले वक्फ की सम्पत्ति पर, कितनी बेवा, विधवा, बेटियों, बहनों को सिलाई, कढ़ाई और जीने का तरीका सिखाया गया? यह गिनती पर आएगा। इसलिए ये जो बार-बार वक्फ की बात बोलते हैं, अगर आज इस कानून के द्वारा वक्फ की जमीन को रेगुलेट किया जाए, ताकि उस प्रॉपर्टी में अच्छी फंडिंग आए और उस जमात के लोगों में इसके लिए विश्वास बढ़े, तो इनको परेशानी क्यों होती है?

सर, इस परेशानी की वज़ह को मैं समझता हूं और अब मैं इस परेशानी की वज़ह पर आ रहा हूं। दिल से तो ये कहते हैं कि हम चाहते हैं संशोधन हो, लेकिन राजनीतिक मजबूरी इनके पैरों को पीछे खींचती है। बहुत सालों से राग वही है, सुर वही है, तीखापन वही है, भाषा वही है।

सर, मैं तीन उदाहरण देना चाहता हूं। याद कीजिए शाह बानो के केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि शाह बानो एक डेज़र्टेड वाइफ थी, उनको कुछ सौ रुपये मिले, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हो-हल्ला किया गया। उस समय राजीव गांधी जी इस देश के प्रधान मंत्री थे। उनके पास 400 का बहुमत था। बस एक बेवा मुस्लिम 75 साल की महिला को कुछ सौ रुपये दिए जाने की बात थी, तो उस समय क्या हंगामा खड़ा कर दिया गया? आज जब मैं शाह बानो पर बात कर रहा हूं तो मुझे अपने दोस्त आरिफ मोहम्मद खान के बारे में कुछ बोलना है। वे आपकी सरकार में मंत्री थे। इसी सदन में उनका दो दिन ऐतिहासिक भाषण हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा है। एकाएक हंगामा हुआ, राजीव गांधी हिल गए, डोल गए और कहा कि तुम वापस हो जाओ, हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को उलटने के लिए कानून ला रहे हैं। यह भी हमने देखा है।

सर, शाह बानो के बाद वह यात्रा सायरा बानो तक आती है, तीन तलाक तक आती है। तीन तलाक को लेकर इतनी परेशानी थी। मुस्लिम महिलाएं कोर्ट में गयी थीं। मैं आज हाउस में यह कहना चाहता हूं कि दो सालों तक इनकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब ही फाइल नहीं किया, ताकि यह मामला लटकता रहे। आज मैं यह बात बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि जब वर्ष 2014 में हमारी सरकार आयी तो उस समय माननीय प्रधान मंत्री जी ने मुझे कानून मंत्री बनाया था। मेरे पास फाइल आयी कि इसका जवाब फाइल करना है, सुप्रीम कोर्ट डांट लगा

रहा है। मैं प्रधान मंत्री जी के पास गया। उन्होंने कहा - कोर्ट जाओ और वहां खड़े हो जाओ कि नरेन्द्र मोदी की सरकार 'तीन तलाक' से पीड़ित बहनों के साथ खड़ी है।

(1355/GG/SRG)

सर, आज मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। जब सुप्रीम कोर्ट में तीन तलाक के मामले की सुनवाई चल रही थी, तब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि आप फैसला मत कीजिए, हम एक निकाहनामा बनाएंगे और पूरे देश में घुमाएंगे कि निकाह करते समय तीन तलाक नहीं दोगे, यह शर्त रखेंगे। सर, याद कीजिए कानून बना और इसी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूरे देश में तीन तलाक के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन करने और उकसाने का काम किया। ये सभी लोग खड़े हो गए। सर, तीसरा मामला धारा 370 की समाप्ति का है। सर, यहीं बिल आया था न? माननीय गृह मंत्री बैठे हैं न? हिम्मत दिखाई थी न? सब लोग एक थे न? कहा गया देश टूट जाएगा, देश में आग लग जाएगी। आज 370 समाप्त हो गया, आज कश्मीर का विकास हो रहा है, जम्मू का विकास हो रहा है, पूंजी निवेश हो रहा है। सर, याद कीजिए अभी जो चुनाव हुआ है, एक भी बूथ पर रीपोल नहीं हुआ है, जो उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी है। जहां पाकिस्तानी झंडे लहराते थे, आज वहां लाल चौक पर तिरंगा लहराता है और भारत माता की जय बोलते हैं। सर, यह बात मैं क्यों कह रहा हूँ? मैंने 86 से 20 तक की कहानी बताई। स्वर वही है, सुर वही है, तल्खी वही है, चाहे संशोधन लाओ वक्फ पर, चाहे संशोधन लाओ धारा 370 पर। अब हम यह भी कहना चाहते हैं कि यह नहीं चलेगा और बड़ी जिम्मेवारी से कहना चाहता हूँ कि सर एक स्वर उठाने की इच्छा होती है कि वोट बैंक के लिए देश कहां तक जाएगा? क्यों जाना चाहिए? सर, आप याद कीजिए, मैं कहना चाहता हूँ कि सीएए पर क्या-क्या तूफान खड़ा किया गया? जो हिंदू थे, सिख थे, क्रिश्चन थे, बाहर से उनको भारत लाया गया। उसका कोई असर हिंदुस्तान के मुस्लमानों पर नहीं था, फिर भी तूफान खड़ा किया गया। आज फिर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। … (व्यवधान) धर्मेंद्र जी, कभी तो हमको सुन लिया कीजिए, अखिलेश जी सुनते हैं, आप नहीं सुनते हैं, यही समस्या है। … (व्यवधान)

सर, इससे जुड़ा एक और बड़ा सवाल है। वह सवाल मैं उठाना चाहता हूँ। मुस्लिम जमात इस देश के लोग हैं। जितना हिंदुओं का यह देश है, उतना आपका है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुस्लिम जमात के आदर्श कौन होंगे? क्या मुस्लिम जमात के आदर्श वोटों की दलाली करने वाले, सौदागरी करने वाले होंगे? अगर यह है तो यह देश को स्वीकार नहीं होगा। हम बहुत विनम्रता से कहना चाहते हैं कि मुस्लिम समाज के आदर्श होंगे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉ. ए.पी.जे. कलाम, अब्दुल हमीद, अशफाक़उल्ला खान, रसखान, कबीर, मलिक मौहम्मद जायसी। जब मोहम्मद शमी फास्ट बोलिंग कर के आउट करता है, तब देश ताली बजाता है। जब सानिया मिर्ज़ा टेनिस में भारत का नाम ऊंचा करती है, तो हम सभी खुश होते हैं। यह तय करना पड़ेगा। हमें लगा था कि 25-30 साल के बाद, वोटों की सौदागरी कुछ बंद होगी, लेकिन अभी तक बंद नहीं है। कभी तो आप लोग उससे बाहर निकलिए। यह देश बदल रहा है। उनकी संख्या देख रहे हैं? कांग्रेस कहां थी, कहां चली आई। अखिलेश जी, आप देखिए। सर, एक बात और बताना ज़रूरी है, सदन की स्मृति के लिए कि राजीव गांधी को 400 सीटें मिलीं, शाहबानों में वे इन लोगों के सामने झुके और उसके बाद आज तक कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। आप याद कीजिए। देश की हवा कहां बह रही है? अखिलेश बाबू समझिए। हमारी आप इतनी आलोचना करते हैं। नरेंद्र मोदी जी को एक बार पूर्ण बहुमत मिला, दूसरी बार पूर्ण बहुमत मिला। आप लोगों ने संविधान का कुछ मिसलीड कर के, धोखाधड़ी कर के यूपी में कुछ गड़बड़ की, जनता को समझ में आ गया तो हरियाणा जिता दिया, महाराष्ट्र जिता दिया, फिर दिल्ली जिता दिया और अब बिहार भी जिताने वाले हैं। आप निश्चिंत रहिए।